Federal Scapia Credit Card Most Important Terms & Conditions

issued by



हिंदी में पढ़ें/ Read in Hindi

Sr. No	Fees and Charges	Fee Details	
1	Card Name	Federal Scapia co-brand	led Credit Card
2	Issued by	Federal Bank	
3	Joining Fees	Nil	
4	Annual Membership Fees	Nil	
5	Interest Free Grace Period**	Up to 48 days	
6	Interest Rate for Revolving Credit	45% p.a. (3.75% per m transaction	nonth) from date of
7	Interest Rate for Cash Advances/ Withdrawals	45% p.a. (3.75% per m withdrawal (No Interes Cash)	,
8a	Interest Rate for EMI Transactions	16% p.a. (applicable for 21 and 24 months tenure based on the amount)	
8b	Interest Rate for EMI Transactions on Merchant EMI (at the time of purchase)	In-store EMI: -Pinelabs 16% p.a. (applicable for 21 and 24 months tenure based on the amount)	
		Checkout EMI (coming s -PayU 15.99% p.a. (applicable 18, 21 and 24 months to vary based on the amount	for 3, 6, 9, 12, 15, enure; tenure might
9	Card Reissuance/Replacement Fees	Rs. 200/- + GST	
10	Joining/Annual Fee for Add-on Card	NA (Currently Add-on fac	cility is not offered)
11	Cash Advance Fees/ATM Withdrawal Fees	2.5% of amount withd whichever is higher	rawn or Rs. 500/-
12	Late Payment Charges/ Charges in case of Default	Statement Balance Less than Rs. 100 Rs. 100 – Rs. 500	Late Payment Charge Rs. 0 100
		Rs. 501 to Rs. 5000	500
		Rs. 5001 to Rs. 10000	600

13	Minimum Amount Due	Rs. 10001 to Rs. 750 25000 Rs. 25001 to Rs. 950 50000 More than Rs. 50000 1000 5% of purchases (POS, E-com) + cash withdrawals subject to minimum of Rs. 200/-
		+ 100% of EMIs due, charges, interest & fees.
14	Cash Advance Limit	Up to 10% of Card Limit
15	Overlimit charges	2.5% of the overlimit amount subject to a minimum of Rs. 500/-
16	Fuel Transaction Surcharge	1% surcharge waiver for transactions up to Rs.5000 (max waiver Rs.500 per month) Fuel spends over Rs.50,000 in a month will attract a convenience fee of 1% + applicable GST (max Rs.3,000 per transaction)
17	Utility Transaction	Spends over Rs.50,000 in a month will attract a convenience fee of 1% + applicable GST (max Rs.3,000 per transaction)
18	Rent and Wallet load	Spends on rent, wallet load will attract a convenience fee of 1% + applicable GST (max Rs.3,000 per transaction)
19	Dishonour of Auto Debit*	2% of payment amount subject to a minimum of Rs. 450/-
20	Service charges levied for transactions	Nil
21a	EMI Processing Fee and Preclosure charges	There would be a processing fee of Rs. 99/+ GST for EMI conversion. A foreclosure charge of 2% + GST (subject to a minimum of Rs. 100/-) on the remaining principal as applicable will be charged if closed before the chosen tenure.
21b	Merchant EMI Processing Fee and Pre-closure charges	In-store EMI: -Pinelabs There would be a processing fee of Rs. 99/+ GST for EMI conversion A foreclosure charge of 2% + GST (subject to a minimum of Rs. 100/-) on the remaining principal as applicable will be charged if closed before the chosen tenure. Checkout EMI (coming soon): -PayU

		There would be a processing fee of 1% or Rs. 99/- (Whichever is higher) + GST for EMI conversion A foreclosure charge of 3% + GST (subject to a minimum of Rs. 100/-) on the remaining principal as applicable will be charged if closed before the chosen tenure. Free cancellation period for foreclosure is 7
		days.
22	Foreign Currency Mark-up	0% (Nil)
23	TDS on withdrawals above Rs 1 crore	TDS will be deducted at a rate of 2.00% on cash withdrawals in excess of ₹ 1 crore if the person withdrawing the cash has filed income tax return for any or all three previous AYs. TDS will be deducted at 2% on cash withdrawals of more than ₹ 20 lakh and 5% for withdrawals exceeding ₹ 1 crore if the person withdrawing the cash has not filed ITR for any of the preceding three AYs.
24	Goods and Services Tax (GST)	Goods & Service Tax (GST) will be applicable on all fees, interest and other charges at rates as notified by the Government of India from time to time The applicable GST would be dependent on the location of the supplier (Credit Card Issuer i.e. Federal Bank) and place of supply. If the place of supply (customer communication address) is in Kerala, then it would be CGST and SGST (Intra state), else IGST (Inter state). In case of non-availability of customer registered mailing address in the system, intra state GST rates would be levied.
		Card Holder would be responsible for providing correct and timely information for enabling Credit Card Issuer to undertake appropriate GST compliances which would in turn enable card holder to take input tax credit of supplies (credit card service) made by the Credit Card Issuer. Credit Card issuer shall not be responsible for any loss of input tax credit or delay in availment of input tax credit to the Card Holder on account of incorrect information provided by card holder or due to any act or omission by Card Holder.

		GST collected will not be reversed on any dispute on fee & Charges/interest or on any other concession/waiver.	
25	Drawal Limits	 i. Credit limit – As approved and displayed at the time of onboarding. ii. Available Credit Limit - As approved and displayed at the time of onboarding. iii. Cash Withdrawal Limit – 10% of Credit Limit. 	

^{*} Auto Debit feature is currently under development, and it will be applicable once the feature goes live.

I. Interest Free (grace) period:

The interest free credit period could range up to 48 days subject to the scheme applicable on the credit card and the submission of claims by the merchant.

**Illustration:

For a statement for the period from Jan 15th 2023 to Feb 14nd 2023 the payment due date would be Mar 4th, 2023.

Assuming that you have paid your Total Amount Due of the previous month statement by the payment due date, the grace period would be:

- 1. For a purchase dated Jan 16th, 2023, the interest free grace period is from Jan 16, 2023 to Mar 4th, 2023, i.e. **47** days.
- 2. For a purchase dated Feb 14th, 2023, the interest free grace period is from Feb 14th 2023 to Mar 4th, 2023, i.e. **18** days.

Thus, the grace period can vary depending upon the date of purchase. This period will be free of interest only if all previous dues are paid in full and there is no unpaid balance carried over from previous months. However, if the Total Amount Due is not paid by the payment due date, then there will be no interest free period. For cash advances, interest is charged from the date of the transaction until the date of payment. All applicable fees will be applied in case of non repayment.

II. Finance Charges/ Interest Charges:

- i. Interest Charges are paid at a monthly percentage rate, as specified in the KFS, on all transactions from the date of transaction in the event of the Card member choosing not to pay his balance in full, and on all cash advances taken by the Card member, till they are paid back. Interest charges, if payable, are debited to the Card member's account till the outstanding on the card is paid in full.
- ii. When the customer carries forward any outstanding amount or availed Cash Advance, a finance charge calculated using average Daily Balance Method will apply to balances carried forward and to fresh billings.
- iii. If a card holder avails the revolving credit facility of the Scapia Federal Credit Card and hence chooses to pay an amount less than the total amount due reflected in the monthly billing statement, the entire outstanding amount would attract interest charges and all new

transactions will also attract interest Charges from the date of transaction, till such time as the previous outstanding amounts are repaid in full. Revolving credit is a type of credit that does not have a fixed number of payments, in contrast to instalment credit.

iv. The following Examples will indicate the method of calculating interest charges: In the table given below, it has been assumed that the Total Amount Due of the previous month statement has been paid by the payment due date and there is no outstanding amount. The statement date is the 15th of every month. Given these assumptions, interest will be calculated as below:

Example1:

Particular	Amount (Rs.)
Purchase on Jan 14, 2023	10,000
Total Amount Due on statement dated Jan 15, 2023	10,000
Minimum Amount Due on statement dated Jan 15, 2023 (5%)	500
Payment due date - Feb 2, 2023	
Purchase on Feb 10, 2023	4,000
Payment received on Feb 13, 2023	7,500
Interest Calculation @ 45% per annum (Total interest charged in the statement dated 15 Feb)	
a) Interest on Rs. 10,000 for 29 days (from Jan 14 to Feb 12)	357.53
b) Interest on Rs. 2500 for 2 days (from Feb 13 to Feb 14)	6.16
c)Interest on Rs. 4000 for 5 days (from Fe b 10 to Feb 14)	24.66
d)Late Payment Fee	600
e) GST will be applicable on interest charges and Late Payment Fees	177.9
f) Total Charges Payable on 15th Feb (a+b+c+d+e)	1166.26
Total Amount Payable on due date Mar 4, 2023 (Principal amount of Rs. 6500 + Total charges payable(f))	7666.26

III. Billing Statement:

Your billing statement will be generated every month on the date selected by the customer. The statement will contain a break-up of all purchases, repayments, fees, interest charges, refunds and taxes. In case the card was not used in a month, the statement will mention that there was no spends in that month.

Mode of sending statement:

The link to download billing statement and summary will be shared over email, monthly, and will also be available on your Scapia app or through such other means as may be decided by Federal Bank.

***Minimum Amount Due:

Minimum Amount Due (MAD) is calculated as 5% of Total Amount Due (subject to minimum of Rs. 200/-), new EMI debits for the month or any previously unpaid EMI debits + GST + charges+ interest+ Fees. In the event the Card Member deposits part of the Total Payment Due or the MAD (not less than the MAD under any circumstance), the balance outstanding amount payable shall be carried forward to subsequent Statements. This amount will attract interest Charges until the date of full and final payment. Please note that making only the minimum payment every month would result in the repayment stretching over months/years with consequential compounded interest payment on your outstanding balance.

Method of payment:

You can pay the outstanding dues from the Scapia App itself, through the following modes: a) Debit Card b) Netbanking c) UPI

Billing Disputes Resolution:

In case of any query or a dispute on the charges indicated in the statement, it should be communicated to the Bank within 30 days of receipt of the statement, by using any of the contact modes stated below, failing which it would be construed that all charges indicated in the statement are accepted by you. Upon contacting the Bank, the Cardholder will be provided information related to charges levied on the card account and a temporary suspension would be applied on the disputed transaction under investigation, if required. The Bank shall resolve such disputes within a maximum of 60 days.

IV. Default:

A. If the Card Member fails to pay the Minimum Amount Due by the date indicated in the billing statement, it shall be treated as default. In case of default, the Bank can forward the default report to the Credit Information Bureaus or to such other agencies as approved by law. However, before reporting any default, the Bank will inform the Card Member seven (7) days in advance regarding the Bank's intention of reporting the default. The Bank submits the Card Member's data to the Credit Information Bureau or to such other agencies (in India) as approved by law on monthly basis. This data will include the repayment status of all Cardholders (including the details of any settlement of dues made after reporting to Credit Information Bureaus), i.e. both defaulters and non-defaulters, for the previous month. The bureaus will upload the submitted data onto their servers in another thirty days

B. Procedure for withdrawal of default report upon settlement of dues and the period within which the default report would be withdrawn after settlement of dues.

If the cardmember settles dues after being reported as a defaulter, and the card remains past due for more than three (3) days, the Bank will update the status to the Credit Information Bureaus or to such other agencies as approved by law within 30 days from the date of settlement. And any interest, charges, late payment fee etc will be levied from the due date.

- **C.** Card member acknowledges the right of the Bank to terminate the Credit Card facility in the event of default in respect of any other loan/ financial/ credit facility extended to the Card member by the Bank and vice versa.
- **D.** Recovery of dues in case of death/permanent in capacitance of the Card Member: It shall be in accordance with the applicable laws after giving sufficient notice for payment of dues and all information regarding the outstanding dues, to the successors/nominees /legal heirs/guardian of the Card Member.
- **E.** The classification into Substandard/ Doubtful/Loss NPA will be done as per the RBI Master Circular on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to advances which inter-alia includes the following:
- i. The classification into Substandard/ Doubtful/Loss NPA will be handled based on the ageing rules of the overdue period as specified by Bank from time to time in tune with the RBI guidelines on Prudential Norms on IRAC. As per the present norm any Dues remaining unpaid for a period beyond 90 (ninety) days shall be classified as Non-Performing Asset (NPA) as per the RBI Master Circular on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances.
- ii.If any other facilities in the name of the Borrower(s) is classified as NPA, the Facility herein shall also be classified into NPA. In such case, the Facility will not be upgraded as standard asset/s unless and until the Borrower(s) clear the entire arrears / dues in respect of all his accounts (i.e. Arrears/Dues outstanding in all accounts should be zero).
- iii.Classification of borrower accounts as Special Mention Account (SMA as defined below) as well as NPA shall be done as part of day end process for the relevant date and the SMA or NPA classification date shall be the calendar date for which the day end process is run. In other words, the date of SMA/ NPA shall reflect the asset classification status of an account at the day-end of that calendar date.

Classification of default cards:

Card will be classified as Special mentioned Accounts (SMA), when there is amount pending for payment from due date. The classification of SMA is as follows:

SMA Categories	Basis for classification	
	(Principal or interest or any other amount wholly or partly due)	
SMA - 0	Upto 30 days from payment due date (PDD).	
SMA – 1	More than 30 days and upto 60 days from payment due date (PDD).	
SMA – 2	More than 60 days and upto 90 days from payment due date (PDD).	

In the event of default, the Card member will be sent reminders from time to time for settlement of any outstanding dues on the card account, by post, telephone, e-mail, SMS messaging and/ or engaging third parties to remind, follow up and collect dues. The Card Member shall be liable to pay the Bank all/any expenses related to collection/recovery of dues and the same shall be debited to Card Account.

V. Disclosure:

In the event of default, as per the Credit Information Companies Regulation Act, 2005, the Bank shall disclose any and all available information relating to the Cardholder to the Credit Information Bureaus/Companies or to any such other agencies approved by law, with due intimation to the Cardholder. The Bank/Group Companies reserve the right to retain the application forms and documents provided therewith, including photographs, and will not return the same.

The Bank will share information relating to cardmember, including information relating to any default committed by the cardholder in the discharge of his/her obligation, as the Bank may deem appropriate and necessary, with any credit information company regulated by the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005. However, before reporting any default, the Bank will inform the cardmember seven days in advance regarding the Bank's intention of reporting the default. The Bank may also, at its own discretion, record specific conversations held between the Cardholder and the representative of the Bank, in matters pertaining to customer grievance, recovery etc.

If the cardmember settles dues after being reported as a defaulter, the Bank will update the status within 30 days from the date of settlement. The disclosure/release of information pertaining to the default will be made only after the dispute is settled.

VI. Revocation/ Termination of Credit Cards:

The Cardholder may at any time choose to terminate the Card Account with or without giving any prior notice. For avoiding misuse, it is advised to cut the Credit Card into four pieces ensuring that the hologram and magnetic strip are destroyed permanently. The Cardholder can initiate revocation/termination of the card through the Scapia mobile app or by contacting the helpline/email id mentioned below:

Helpline Number : 1800-296-1199

email id : scapiafederalcards@federalbank.co.in

The revocation/ termination shall only be effective once the Bank receives the payment of all amounts due and outstanding in respect of the said Card Account. Interest/finance charges, if any applicable, for a billing cycle will be levied/payable on the next billing cycle and the Cardholder shall be liable to pay the same notwithstanding the termination/revocation of the card membership.

If a credit card has not been used for a period of more than one year, the process to close the card shall be initiated after intimating the cardholder. If no reply is received from the cardholder within a period of 30 days from the expiry of the one-year period of non-usage, the card account shall be closed by the Federal Bank, subject to payment of all dues by the cardholder. The information regarding the closure of card account shall also accordingly be updated with the Credit Information Company(ies) within a period of 30 days. In case there is any dues are outstanding and payable by you, the same shall be closed using the funds, if any, available in the savings account or by closure of fixed deposit (either in full or in part) and/or if sufficient funds are not available in the savings/ fixed deposit accounts, the default details of the Scapia Federal Credit Card shall be reported to the Credit Information Companies as afore-stated.

VII. Loss/Theft/Misuse of Card

In case of loss/theft/misuse of the Card, it must be reported immediately to us through the following channels

Helpline Number :1800-296-1199

email id : scapiafederalcards@federalbank.co.in

The Bank shall thereupon suspend the Card. The Cardholder is advised to file an FIR with the local police station so that the Cardholder can produce its copy whenever requested by the Bank. The Cardholder shall be primarily responsible for the security of the Card including theft and for the transactions using the Card. The Cardholder shall not be liable for any transaction/s made on the Card post reporting its loss/theft/damage. However, in case of any dispute relating to the time of reporting such loss/theft/damage and/or transactions made on the Card post reporting of the loss/theft/damage/misuse, the Bank reserves the right to ascertain such time and or the authenticity of the disputed transactions.

The Bank reserves the right to block the Credit Card on suspected risk of compromise to protect the interest of the Cardholder and to avoid misuse in any manner on the Card Account. The Cardholder shall not be able to use the blocked Card for any transaction/s and shall receive a replacement Card within 2 weeks. You shall not be able to use the blocked Card for any transaction/s until you receive a replacement Card.

In the event, the Cardholder, after being informed by Bank of the probable fraud risk, still requests to unblock the Card/does not agree to block the card, the Bank shall not stand liable or responsible in any manner for any fraudulent transactions reported to it thereafter on account of fraudulent usage of the Card or otherwise.

Liability of cardholder:

- a. Zero liability where the unauthorized transactions occur in the following events:
- i. Contributory fraud/negligence/deficiency on part of the Bank
- ii. Third Party breach where the deficiency lies elsewhere in the system and you notify the Bank (including its outsourced service providers) within 3 working days of receiving the communication from the Bank (or any of its outsourced service providers) regarding the unauthorized transaction
- b. You shall be liable for the loss occurring due to unauthorized transactions in the following cases:
- i. In cases where the loss is due to your negligence such as where you have shared the payment credentials, you will bear the entire loss until you report the unauthorized transaction to the Bank (or any of its outsourced service providers). Any loss occurring after the reporting of the unauthorized transaction shall be borne by the Bank.
- ii. In cases where the responsibility of the unauthorized electronic banking transaction lies neither with the Bank nor You, but lies elsewhere in the system and when there is a delay of 4-7 working days after receiving communication from the Bank (or any of its outsourced service providers) on your part in notifying the Bank of such a transaction, your per transaction liability shall be limited to the transaction value or the amount whichever is lower as mentioned in the table below (as per RBI).

Overall liability of the cardholder in terms of RBI circular ref. DBR.No.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18 dated July 6, 2017; on Customer Protection is summarised as below:

Summary of Customer's Liability		
Time taken to report the fraudulent transaction from the date of receiving the communication	Customer's liability (₹)	
Within 3 working days	Zero liability	
Within 4 to 7 working days	If credit card limit <= Rs 5,00,000, Max liability <= Rs 10,000 If credit card limit >= Rs 5,00,000; Max liability <= Rs 25,000	
Beyond 7 working days	liability <= Rs 25,000 The customer liability to the extent of the value of the transaction(s)	

if the delay in reporting by you is beyond 7 working days, your liability shall be determined as per the Bank's board approved policy.

VIII. GRIEVANCE REDRESSAL

In the event that you are not satisfied with our services, kindly contact us as per the level below

Level 1

Customer can Call Banks 24-hour customer care on 1800-296-1199.

Customers calling from abroad can call on 0484- 6925000.

Email: scapiafederalcards@federalbank.co.in

Customer can submit complaint using the Customer Grievance form

Level 2

If you have not received a satisfactory response at Level 1 within 10 working days, please send an email to escalate to our Nodal Officer.

Email -creditcardescalation@federalbank.co.in

Ms. Minimole Liz Thomas

Nodal Officer Service Quality Department The Federal Bank Ltd. Federal Towers, Aluva, Kerala.

Tel: 0484-6754111

Level 3

If you have not received a satisfactory response at Level 2 within 5 working days, please send an email to escalate to our Principal Nodal Officer -

Email - support@federalbank.co.in

Ms. Shalini Warrier

Executive Director and Principal Nodal Officer CEO's Secretariat, The Federal Bank Ltd. Federal Towers, Aluva, Kerala.

Tel: 0484-2626366

Level 4

If the customer is still not satisfied with the resolution the customer can approach Banking Ombudsman. Please take note that the first point for redressal of complaints is the bank itself. The complainants may approach Reserve Bank Integrated Ombudsman through the link below.

Click Here

<u>Customer Compensation details for failed transactions using Authorised Payment Systems is given below</u>

	Harmonisation of Turn Around Time (TAT) and customer compensation for failed transactions using authorised Payment Systems				
SI. no.	Description of the incident	Framework for auto-reve	ersal and compensation		
		Timeline for auto- reversal	Compensation payable		
I	п	III	IV		
1	Automated Teller Machines (ATMs) including Micro-ATMs				
а	Customer's account debited but cash not dispensed.	Pro-active reversal (R) of failed transaction within a maximum of T + 5 days.	₹ 100/- per day of delay beyond T + 5 days, to the credit of the account holder.		
2	Card Transaction				
а	Card to card transfer Card account debited but the beneficiary card account not credited.	Transaction to be reversed (R) latest within T + 1 day, if credit is not effected to the beneficiary account.	₹ 100/- per day of delay beyond T + 1 day.		
b 		Auto-reversal within T + 5 days.	₹ 100/- per day of delay beyond T + 5 days		

	Account debited but confirmation not received at merchant's system.		
3	Card Closure Request		
	Request for credit card closure, subject to payment of all dues by the cardholder	Request to be processed within T+7 days	₹ 500/- per day of delay beyond T + 7 day.

For more information on aspects such as defaults, termination/withdrawal of Card services, loss/theft/Misuse of Cards and the terms applicable thereof, please see the General Credit Card Terms available here.

You hereby agree and acknowledge that by submitting the application form for availing Credit Card facility from the Federal Bank through Scapia, you agree to be bound by the General Card Terms.

क्रम	फीस और शुल्क	फीस का विवरण	
संख्या	3		
1	कार्ड का नाम	Federal Scapia को-ब्रांडेड	क्रेडिट कार्ड
2	जारीकर्ता	फेडरल बैंक	
3	ज्वाइनिंग फीस	शून्य	
4	वार्षिक सदस्यता शुल्क	शून्य	
5	छूट की ब्याज मुक्त अवधि**	48 दिनों तक	
6	रिवॉल्विंग क्रेडिट के लिए ब्याज दर	लेन-देन की तारीख से 45% माह)	प्रति वर्ष (3.75% प्रति
7	कैश एडवांस/निकासी के लिए ब्याज दर	निकासी की तारीख से 45% माह) (कैश के लिए कोई ब्यार	=
8a	EMI वाले लेनदेन के लिए ब्याज दर	16% प्रतिवर्ष (3, 6, 9, 12, 15 की अवधि के लिए लागू; राग्नि अलग-अलग हो सकती है)	
8b	मर्चैंट EMI पर EMI लेनदेन के लिए ब्याज	इन-स्टोर EMI:	
	दर (खरीदारी के समय)	-Pinelabs	_
		16% प्रतिवर्ष (३, ६, ९, १२, १५	
		की अवधि के लिए लागू; रागि	शे के आधार पर अवधि
		अलग-अलग हो सकती है)	
		_	
		चेकआउट EMI (जल्द आ रह	ही है):
		-PayU	2
		15.99% प्रतिवर्ष (३, ६, ९, १	
		महीने की अवधि के लिए ल	
		अवधि अलग-अलग हो सकर	ग ह)
9	कार्ड दोबारा जारी करने/बदलने की फीस	₹200/- + GST	
10	ऐड-ऑन कार्ड के लिए ज्वाइनिंग/वार्षिक फीस	•	
11	कैश एडवांस फीस/ATM से पैसे निकालने	निकाली गई राशि का 2.59	% या रु500/-, जो भी
	का शुल्क	अधिक हो	
12	देरी से भुगतान शुल्क/गलती की स्थिति में		
	शुल्क	स्टेटमेंट बैलेंस	विलंबित
			भुगतान शुल्क
		_	₹.
		रु100 से कम	0
		₹100 – ₹500	100
		रु501 से रु5000	500
		रु5001 से रु10000	600
		रु10001 से रु25000	750
		रु25001 से रु50000	950
		रु50000 से ज्यादा	1000

13	न्यूनतम देय राशि	खरीदारी का 5% (POS, ई-कॉम) + नकद निकासी
		न्यूनतम रु200 + देय EMI, शुल्क, ब्याज और फीस का 100%
14	कैश एडवांस लिमिट	कार्ड लिमिट का 10% तक
15	ओवरलिमिट शुल्क	सीमा से अधिक राशि का 2.5%, न्यूनतम रु500/- तक
16	फ्यूल ट्रांज़ैक्शन सरचार्ज	रु5000 तक के लेन-देन पर 1% सरचार्ज छूट (अधिकतम छूट रु500 प्रति माह)
		एक महीने में रु50,000 से अधिक फ्यूल खर्च करने पर 1% कन्वीनिएंस फीस + लागू GST (अधिकतम 3,000 रुपये प्रति लेनदेन) लगेगा।
17	उपयोगिता लेनदेन	महीने में रु50,000 से अधिक खर्च पर 1% कन्वीनिएंस फीस + लागू GST (अधिकतम रु3,000 प्रति लेन-देन) लगेगा।
18	रेंट और वॉलेट लोड	किराए और वॉलेट लोड के खर्च पर 1% कन्वीनिएंस फीस + लागू GST (अधिकतम रु3,000 प्रति लेनदेन) लगेगा।
19	ऑटो डेबिट विफल होना*	भुगतान राशि का २%, न्यूनतम रु४५०/- तक
20	लेन-देन के लिए लगाया गया सेवा शुल्क	शून्य
21a	EMI प्रोसेसिंग फीस और प्री-क्लोज़र शुल्क	EMI कन्वर्ज़न के लिए रु99/- + GST की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। चयनित अवधि से पहले बंद करने पर, बचे हुए प्रिंसिपल पर 2% + GST (न्यूनतम रु100/- के अधीन) का फोरक्लोज़र शुल्क लगाया जाएगा।
21b	मर्चेंट EMI प्रोसेसिंग फीस और प्री- क्लोज़र शुल्क	इन-स्टोर EMI: -Pinelabs
		16% प्रतिवर्ष (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 महीने की अवधि के लिए लागू; राशि के आधार पर अवधि अलग-अलग हो सकती है)
		चयनित अवधि से पहले बंद करने पर, बचे हुए प्रिंसिपल पर 2% + GST (न्यूनतम रु 100/- के अधीन) का फोरक्लोज़र शुल्क लगाया जाएगा।
		चेकआउट EMI (जल्द आ रही है):
		-PayU 15.99% प्रति वर्ष (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 महीने की अवधि के लिए लागू; राशि के आधार पर अवधि अलग-अलग हो सकती है)
		चयनित अवधि से पहले बंद करने पर, बचे हुए प्रिंसिपल पर 3% + GST (न्यूनतम रु100/- के अधीन) का फोरक्लोज़र लिया जाएगा।

		फोरक्लोज़र के लिए फ्री कैंसलेशन की अवधि 7 दिन है।
22	फॉरेन करेंसी मार्क-अप	०% (शून्य)
23	1 करोड़ रुपये से अधिक राशि	070 (4)(4)
23	निकालने पर TDS	अगर कैश निकालने वाले व्यक्ति ने किसी भी या पिछले पूरे तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरा है, तो रु1 करोड़ से अधिक कैश निकालने पर 2.00% की दर से TDS काटा जाएगा। यदि पैसा निकालने वाले व्यक्ति ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी के लिए भी ITR नहीं भरा है, तो रु20 लाख से अधिक की राशि निकालने पर 2% की दर से और रु1 करोड़ से अधिक की राशि निकालने पर 5% की दर से TDS लिया जाएगा।
24	वस्तु एवं सेवा कर (GST)	सभी फीस, ब्याज और अन्य शुल्कों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार लागू होगा। लागू GST सप्लायर (क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता यानी फेडरल बैंक) के स्थान और आपूर्ति के स्थान के आधार पर निर्धारित होगा। अगर आपूर्ति का स्थान (ग्राहक का सम्पर्क पता) केरल में है, तो CGST और SGST (राज्य के भीतर) लागू होगा, अन्यथा IGST (राज्य के बाहर) लागू होगा। यदि सिस्टम में ग्राहक का पंजीकृत डाक पता उपलब्ध नहीं है, तो अंतरराज्यीय GST रेट लगाए जाएंगे।
		कार्ड होल्डर क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को उचित GST अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए समय पर और सही जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, यह बदले में कार्ड धारक को क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति (क्रेडिट कार्ड सेवा) का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार देगा। कार्ड धारक द्वारा गलत जानकारी देने या कार्ड धारक के किसी भी काम या गलती के कारण हुई इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई भी हानि या कार्ड धारक को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में हुई देरी के लिए क्रेडिट कार्ड जारीकर्ती उत्तरदायी नहीं होगा।
		फीस और शुल्क/ब्याज या किसी अन्य रियायत/छूट से संबंधित कोई भी विवाद होने पर, लिया गया GST वापस नहीं किया जाएगा।
25	निकासी की लिमिट	iv. क्रेडिट लिमिट – जैसा कि ऑनबोर्डिंग के समय स्वीकृत और प्रदर्शित किया गया है।

v. उपलब्ध क्रेडिट लिमिट – जैसा कि
ऑनबोर्डिंग के समय स्वीकृत और
प्रदर्शित किया गया है।
vi. कैश निकासी की लिमिट - क्रेडिट लिमिट
का 10%

* ऑटो डेबिट की सुविधा अभी विकसित की जा रही है, और यह सुविधा लाइव होने के बाद लागू होगी।

IX. छुट की ब्याज मुक्त अवधि:

ब्याज मुक्त क्रेडिट अविध 48 दिनों तक हो सकती है, जो क्रेडिट कार्ड पर लागू योजना और मर्चेंट द्वारा क्लेम सबमिट करने पर निर्भर करती है।

**उदाहरण:

15 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक की अवधि के लिए भुगतान की देय तिथि 4मार्च, 2023 होगी।

यह मानते हुए कि आपने पिछले महीने के स्टेटमेंट की कुल देय राशि का भुगतान अदायगी की नियत तिथि तक कर दिया है, तो छूट की अवधि इस प्रकार होगी:

- 1. 16 जनवरी, 2023 की खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त छूट की अवधि 16 जनवरी, 2023 से 4 मार्च, 2023 तक यानी **47** दिन है।
- 2. 14 फरवरी, 2023 की खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त छूट की अवधि 14 फरवरी, 2023 से 4 मार्च, 2023 तक यानी **18** दिन है।

इस प्रकार, छूट की अवधि खरीदारी की तारीख के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। यह अवधि केवल तभी ब्याज से मुक्त होगी जब पिछली सभी बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया जाए और पिछले महीनों से कोई बकाया राशि शेष न रखी जाए। हालांकि, अगर भुगतान की नियत तिथि तक कुल देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कोई ब्याज मुक्त अवधि नहीं होगी। कैश एडवांस के लिए, लेनदेन की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज लिया जाता है। भुगतान न करने की स्थिति में सभी लागू शुल्क लगाए जाएंगे।

X. वित्त शुल्क/ब्याज शुल्क:

i. जैसा कि KFS में निर्दिष्ट किया गया है, अगर कार्ड मेंबर बकाया पूरी राशि का भुगतान न करने का निर्णय लेता है, तो लेन-देन की तारीख से सभी लेन-देन पर तथा कार्ड मेंबर द्वारा लिए गए किसी भी कैश एडवांस पर, जब तक उनका भुगतान नहीं कर दिया जाता, ब्याज शुल्क मासिक प्रतिशत दर पर लगाया जाता है। ब्याज शुल्क, अगर देय हो, कार्ड मेंबर के अकाउंट से तब तक के लिए काट लिया जाता है, जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि का पूरा भूगतान नहीं हो जाता।

ii. जब ग्राहक कैश एडवांस लेता है या कोई बकाया राशि आगे बढ़ाता है, तो औसत दैनिक शेष राशि तरीके का उपयोग करके गिना गया वित्त शुल्क नए बिलिंग और आगे बढ़ाई गई शेष राशि दोनों पर लागू होगा।

iii. अगर कोई कार्डहोल्डर Scapia Federal क्रेडिट कार्ड की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा का उपयोग करता है और मासिक बिलिंग स्टेटमेंट में दिखाए गए कुल देय राशि से कम भुगतान करता है, तो पूरी बकाया राशि पर ब्याज शुल्क लगाया जाएगा। इसके साथ ही, सभी नए लेन-देन पर भी लेन-देन की तारीख से ब्याज शुल्क लागू होगा, जब तक कि पिछली बकाया राशि पूरी तरह से चुकाई नहीं जाती। रिवॉल्विंग क्रेडिट एक प्रकार की क्रेडिट सुविधा है जिसमें निश्चित संख्या में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती, जबिक इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में तय किस्तों में भुगतान करना होता है।

iv. निम्नलिखित उदाहरण ब्याज शुल्क गिनने का तरीका बताएंगे: नीचे दी गई तालिका में यह माना गया है कि पिछले महीने के स्टेटमेंट की कुल देय राशि भुगतान की अंतिम तिथि तक चुकाई जा चुकी है और कोई बकाया राशि नहीं है। स्टेटमेंट की तारीख हर महीने की 15 तारीख है। इन अनुमानों को देखते हुए, ब्याज की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

उदाहरण 1:

ब्यौरा	राशि (रु.)	
14 जनवरी, 2023 को खरीदारी	10,000	
15 जनवरी 2023 की स्टेटमेंट पर कुल देय राशि	10,000	
15 जनवरी 2023 के स्टेटमेंट पर न्यूनतम देय राशि (5%)	500	
भुगतान की अंतिम तारीख - 2 फरवरी, 2023		
10 फरवरी, 2023 को खरीदारी	4,000	
13 फरवरी, 2023 को प्राप्त भुगतान	7,500	
45% प्रति वर्ष की दर से ब्याज गणना (15 फरवरी की स्टेटमेंट में लगाया गया कुल ब्याज)		
क) 29 दिनों के लिए 10,000 रुपये पर ब्याज (14 जनवरी से 12 फरवरी तक)	357.53	
ख) 2 दिनों के लिए 2500 रुपये पर ब्याज (13 फरवरी से 14 फरवरी तक)	6.16	
ग) 5 दिनों के लिए 4000 रुपये पर ब्याज (10 फरवरी से 14 फरवरी तक)	24.66	
घ) देर से भुगतान करने की फीस	600	
ङ) ब्याज शुल्क और देर से भुगतान करने की फीस पर GST लगेगा	177.9	
च) 15 फरवरी को कुल देय शुल्क (क+ख+ग+घ+ङ)	1166.26	
देय तिथि 4 मार्च, 2023 को देय कुल राशि (मूल राशि रु6500 + कुल देय शुल्क (च))	7666.26	

XI. **बिलिंग स्टेटमेंट:**

आपका बिलिंग स्टेटमेंट हर महीने ग्राहक द्वारा चुनी गई तारीख को जनरेट किया जाएगा। स्टेटमेंट में सभी खरीद, पुनर्भुगतान, फीस, ब्याज शुल्क, रिफंड और करों का अलग-अलग विवरण शामिल होगा। यदि किसी महीने में कार्ड का उपयोग नहीं किया गया था, तो स्टेटमेंट में उल्लेख किया जाएगा कि उस महीने में कोई खर्च नहीं हुआ।

स्टेटमेंट भेजने का तरीका:

बिलिंग स्टेटमेंट और समरी डाउनलोड करने का लिंक आपको हर महीने ईमेल के माध्यम से शेयर किया जाएगा, तथा यह आपके Scapia ऐप पर या फेडरल बैंक द्वारा तय किए गए अन्य माध्यमों से भी उपलब्ध होगा।

***न्यूनतम देय राशि:

न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना इस प्रकार की जाती है- कुल देय राशि का 5% (न्यूनतम रु200/- के अनुसार), उस महीने के लिए नए EMI डेबिट या पहले के भुगतान न किए गए कोई भी EMI डेबिट + GST + शुल्क+ ब्याज + फीस। यदि कार्ड मेम्बर कुल बकाया भुगतान या MAD (किसी भी परिस्थिति में MAD से कम नहीं) का हिस्सा जमा करता है, तो इस स्थिति में देय शेष बकाया राशि को बाद के स्टेटमेंट में जोड़ा जाएगा। इस राशि पर पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक ब्याज शुल्क लगेगा। कृपया ध्यान दें कि हर महीने केवल न्यूनतम भुगतान करने से आपकी बकाया राशि पर ब्याज जुड़ता रहेगा और इसका भुगतान महीनों/सालों तक खिंच सकता है, जिससे ब्याज का बोझ बढ़ जाएगा।

भुगतान का तरीका:

आप निम्नलिखित तरीकों से Scapia ऐप से ही बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं:: a) डेबिट कार्ड b) नेटबैंकिंग c) UPI

बिलिंग संबंधी विवादों का समाधान:

स्टेटमेंट में दिखाए गए किसी भी प्रश्न या विवाद पर, स्टेटमेंट मिलने के 30 दिनों के भीतर नीचे बताए गए किसी भी संपर्क के तरीके का इस्तेमाल करके बैक को सूचना दी जानी चाहिए; ऐसा नहीं कर पाने पर यह माना जाएगा कि स्टेटमेंट में दिखाए गए सभी शुल्क आपको स्वीकार हैं। बैंक से संपर्क करने पर, कार्डधारक को कार्ड अकाउंट पर लगाए गए शुल्क से जुड़ी जानकारी दी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर जांच के अंतर्गत विवादित लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाएगा। बैंक इस प्रकार के विवादों का निपटारा अधिकतम 60 दिनों के अंदर करेगा।

XII. डिफॉल्ट:

क. यदि कार्डधारक बिलिंग स्टेटमेंट में दी गई तारीख तक न्यूनतम राशि देय (MAD) का भुगतान नहीं करता है, तो इसे डिफॉल्ट माना जाएगा। डिफॉल्ट होने पर, बैंक डिफॉल्ट रिपोर्ट को क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा स्वीकृत ऐसी दूसरी एजेंसियों को भेज सकता है। हालांकि, किसी भी डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले, बैंक कार्डहोल्डर को डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने के बैंक के निर्णय के बारे में सात (7) दिन पहले सूचित करेगा। बैंक हर महीने कार्ड मेंबर का डेटा क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा स्वीकृत ऐसी दूसरी एजेंसियों (भारत में) को जमा करता है। इस डेटा में सभी कार्डधारकों की पुनर्भुगतान स्थिति शामिल होगी (जिसमें क्रेडिट सूचना ब्यूरो को रिपोर्ट करने के बाद किए गए किसी भी बकाया के निपटान का विवरण भी होगा), यानी पिछले महीने के लिए डिफॉल्टर और गैर-डिफॉल्टर दोनों का विवरण। प्राप्त डेटा को ब्यूरो अगले तीस दिनों में अपने सर्वर पर अपलोड कर देगा

ख. बकाया राशि के निपटारे पर डिफॉल्ट रिपोर्ट को वापस लेने की प्रक्रिया और निपटारे के बाद डिफॉल्ट रिपोर्ट को वापस लेने की समय-सीमा।

अगर कार्डहोल्डर डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद बकाया राशि का भुगतान करता है, और कार्ड तीन (3) दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है, तो बैंक सेटलमेंट की तारीख से 30 दिनों के भीतर क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा स्वीकृत ऐसी दूसरी एजेंसियों को स्थिति अपडेट करेगा। और कोई भी ब्याज, शुल्क, देर भुगतान फीस आदि देय तिथि से लगाया जाएगा।

- ग. बैंक द्वारा प्रदान किये गए कोई अन्य ऋण/वित्तीय/क्रेडिट सुविधा में गलती होने की स्थिति में, कार्ड मेंबर स्वीकार करता है कि बैंक के पास क्रेडिट कार्ड सुविधा को समाप्त करने का अधिकार है।
- **घ.** कार्ड मेंबर की मृत्यु/स्थायी रूप से अक्षम हो जाने की स्थिति में बकाया राशि की रिकवरी: यह कार्ड मेंबर के उत्तराधिकारियों/नामांकित व्यक्तियों/कानूनी वारिसों/संरक्षक को बकाया राशि के भुगतान के लिए पर्याप्त सूचना देने तथा बकाया राशि के संबंध में सभी जानकारी देने के पश्चात लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी।
- **ङ.** अवमानक/संदिग्ध/हानि वाले NPA में वर्गीकरण आय पहचान, एसेट वर्गीकरण और एडवांस से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के RBI मास्टर सर्कुलर के अनुसार किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा ये बातें भी शामिल हैं:
- iv.अवमानक/संदिग्ध/हानि वाले NPA में वर्गीकरण IRAC के विवेकपूर्ण मानदंडों पर RBI दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट बकाया अविध के पुराने नियमों के आधार पर किया जाएगा। मौजूदा मानदंड के अनुसार, 90 (नब्बे) दिनों से ज़्यादा की अविध के लिए भुगतान न किए गए किसी भी बकाया को आय मान्यता, एसेट वर्गीकरण और एडवांस से संबंधित प्रावधानों पर विवेकपूर्ण मानदंडों के RBI मास्टर सर्कुलर के अनुसार नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एNPA) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- v.अगर उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) के नाम पर कोई अन्य सुविधा NPA के रूप में वर्गीकृत है, तो यहां दी गई सुविधा भी NPA में वर्गीकृत की जाएगी। ऐसे मामले में, फैसिलिटी को तब तक स्टैंडर्ड एसेट/एसेट्स के रूप में अपग्रेड नहीं किया जाएगा जब तक कि उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) अपने सभी अकाउंट के संबंध में संपूर्ण बकाया / देयताओं का भुगतान नहीं कर देता (अर्थात सभी खातों में बकाया / देयताएं शून्य होनी चाहिए)।
- vi.उधारकर्ता अकाउंट का स्पेशल मेंशन अकाउंट (SMA, जैसा कि नीचे बताया गया है) तथा NPA के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा तथा SMA या NPA वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, SMA/ NPA की तारीख उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में किसी अकाउंट की एसेट वर्गीकरण स्थिति को दिखाएगी।

डिफॉल्ट कार्ड का वर्गीकरण:

जब देय तिथि से भुगतान की राशि लंबित होगी, तो कार्ड को स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट (SMA) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। SMA को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है:

SMA श्रेणियां	वर्गीकरण के आधार
	(प्रिंसिपल या ब्याज या कोई अन्य राशि पूरी तरह से या आंशिक रूप से देय)
SMA – 0	भुगतान की देय तिथि (PDD) से 30 दिन तक।
SMA – 1	भुगतान की देय तिथि (PDD) से 30 दिन से अधिक और 60 दिन तक।
SMA – 2	भुगतान की देय तिथि (PDD) से 60 दिन से अधिक और 90 दिन तक।

डिफॉल्ट होने की स्थिति में, कार्ड मेंबर को कार्ड अकाउंट पर बकाया राशि के निपटान के लिए समय-समय पर पोस्ट, टेलीफोन, ई-मेल, SMS संदेश और/या बकाया राशि याद दिलाने, फॉलो अप और वसूली करने के लिए तीसरे पक्ष की मदद लेने के माध्यम से रिमाइंडर भेजे जाएंगे। कार्ड मेंबर बकाया राशि प्राप्त करने/वसूलने से संबंधित सभी/किसी भी खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इसे कार्ड अकाउंट से डेबिट किया जाएगा।

XIII. प्रकटीकरण:

क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन अधिनियम, 2005 के अनुसार, डिफॉल्ट होने की स्थिति में, बैंक कार्डधारक से संबंधित किसी भी और सभी उपलब्ध जानकारी को क्रेडिट सूचना ब्यूरो/कंपनियों या कानून द्वारा स्वीकृत ऐसी किसी अन्य एजेंसी, कार्डधारक को उचित सूचना देकर, के सामने प्रकट कर देगा। बैंक/समूह कंपनियों के पास आवेदन पत्र और उसके साथ दिए गए दस्तावेज़ों, तस्वीरों सहित, को अपने पास रखने का अधिकार है और वह इन्हें वापस नहीं करेंगी।

क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 द्वारा नियंत्रित कोई भी क्रेडिट सूचना कंपनी बैंक से कार्डमेंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है, जिसमें कार्डधारक द्वारा अपने देनदारियों को पूरा करने में की गई किसी भी गलती के बारे में जानकारी भी शामिल है, जैसा कि बैंक द्वारा उचित और आवश्यक समझ सकता है। हालांकि, किसी भी डिफॉल्ट की सूचना देने से पहले, बैंक कार्ड मेंबर को डिफॉल्ट की सूचना देने के बैंक के निर्णय के बारे में सात (7) दिन पहले सूचित करेगा। बैंक, अपने फैसले के आधार पर, ग्राहक की शिकायत, वसूली आदि से संबंधित मामलों में कार्डधारक और बैंक के प्रतिनिधि के बीच हुई विशिष्ट बातचीत को रिकॉर्ड कर सकता है।

डिफॉल्टर घोषित होने के बाद यदि अगर कार्ड मेंबर बकाया राशि का भुगतान करता है, तो बैंक सेटलमेंट की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्टेटस को अपडेट कर देगा। डिफॉल्ट से जुड़ी जानकारी का खुलासा/प्रकाशन विवाद के समाधान के बाद ही किया जाएगा।

XIV. क्रेडिट कार्ड का निरस्त/समाप्त होना:

कार्डधारक किसी भी समय पहले से सूचना देकर या बिना कोई सूचना दिए कार्ड अकाउंट समाप्त करने का विकल्प चुन सकता है। इसके गलत इस्तेमाल होने से बचने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि क्रेडिट कार्ड को चार टुकड़ों में काट लें ताकि होलोग्राम और मैग्नेटिक स्ट्रिप हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। कार्डधारक Scapia मोबाइल ऐप के माध्यम से या नीचे बताए गए हेल्पलाइन/ईमेल ID पर संपर्क करके कार्ड को रद्द/समाप्त कर सकता है:

हेल्पलाइन नंबर : 1800-296-1199

ईमेल: scapiafederalcards@federalbank.co.in

कार्ड का निरस्त/समाप्त होना केवल तभी प्रभावी होगा, जब बैंक को उस कार्ड अकाउंट से संबंधित सभी देय और बकाया राशियों का भुगतान मिल जाएगा। किसी बिलिंग साइकिल के लिए अगर कोई ब्याज/वित्त शुल्क लागू हो, तो उसे अगले बिलिंग साइकिल पर लगाया/देय किया जाएगा और कार्डधारक को कार्ड मेंबरशिप की समाप्ति/निरस्त होने के बावजूद उसका भुगतान करना होगा।

अगर किसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया है, तो कार्डधारक को सूचित करने के बाद कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर उपयोग न करने की एक वर्ष की अविध की समाप्ति से 30 दिनों की अविध के अंदर कार्डधारक से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो कार्ड अकाउंट, कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि के भुगतान के अधीन, फेडरल बैंक द्वारा बंद कर दिया जाएगा। कार्ड अकाउंट के बंद होने के संबंध में जानकारी भी इस आधार पर 30 दिनों की अविध के भीतर क्रेडिट सूचना कंपनी(कंपनियों) को दी जाएगी। अगर कोई देय राशि बकाया है और आपके द्वारा भुगतान किया जाना है, तो उसे सेविंग अकाउंट में उपलब्ध फंड का उपयोग करके या फिक्स्ड डिपॉज़िट को बंद करके (पूर्ण या आंशिक रूप से) बंद किया जाएगा और/या अगर सेविंग/फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट में पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं है, तो

Scapia Federa क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट विवरण को ऊपर बताए अनुसार क्रेडिट सूचना कंपनियों को सूचित किया जाएगा।

XV. कार्ड का खोना/चोरी होना/गलत इस्तेमाल होना

कार्ड के खोने/चोरी/गलत इस्तेमाल होने पर, इसकी सूचना हमें इन माध्यमों से तुरंत दी जानी चाहिए

हेल्पलाइन नंबरईमेल :1800-296-1199

ईमेल आईडी :scapiafederalcards@federalbank.co.in

इसके बाद बैंक कार्ड को बंद कर देगा। कार्डधारक को स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने की सलाह दी जाती है तािक कार्डधारक बैंक द्वारा मांगे जाने पर इसकी कॉपी दे सके। कार्डधारक, मुख्य रूप से चोरी की घटना के साथ-साथ कार्ड की सुरक्षा और कार्ड का उपयोग करके लेनदेन करने के लिए जिम्मेदार होगा। कार्डधारक कार्ड के खोने/चोरी/क्षित की सूचना देने के बाद उस पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि, इस प्रकार की हािन/चोरी/क्षित की सूचना देते समय और/या हािन/चोरी/क्षित/गलत इस्तेमाल की सूचना देने के बाद कार्ड पर किए गए लेन-देन से जुड़े किसी विवाद की स्थिति में, बैंक ऐसे समय और/या विवादित लेन-देन की प्रामािणकता का पता लगाने का अधिकार अपने पास रखता है।

बैंक कार्डधारक के हितों की रक्षा करने और कार्ड अकाउंट का किसी भी प्रकार से गलत इस्तेमाल होने से रोकने के लिए, जोखिम की आशंका होने पर क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का अधिकार अपने पास रखता है। कार्डहोल्डर किसी भी लेन-देन के लिए ब्लॉक किए हुए कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा और उसे 2 सप्ताह के भीतर एक दूसरा कार्ड मिलेगा। जब तक आपको बदला हुआ कार्ड मिल नहीं जाता, तब तक आप ब्लॉक किए हुए कार्ड का उपयोग किसी भी लेनदेन के लिए नहीं कर सकेंगे।

अगर बैंक द्वारा किसी संभावित धोखाधड़ी के जोखिम के बारे में सूचित किए जाने के बाद भी कार्डधारक कार्ड को अनब्लॉक करने को कहता है/कार्ड को ब्लॉक नहीं करवाना चाहता है, तो कार्ड के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग या दूसरे किसी कारण से उसके बाद सूचित किए गए किसी भी धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

कार्डधारक का दायित्व:

- c. निम्नलिखित स्थितियों में गैरकानूनी लेनदेन होने पर कोई दायित्व नहीं होगा:
- i. बैंक की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी
- ii. तीसरे पक्ष का उल्लंघन, जहां कमी सिस्टम में कहीं और है और आप अवैध लेनदेन के संबंध में बैंक (या उसके किसी भी आउटसोर्स सेवा प्रदाता) से संचार प्राप्त करने के 3 कार्य दिवसों के भीतर बैंक (इसके आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं सिहत) को सूचित करते हैं।
- d. आप इन मामलों में अवैध लेनदेन के कारण होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार होंगे:
- i. ऐसे मामलों में जहां नुकसान आपकी लापरवाही के कारण हुआ है, जैसे कि आपने पेमेंट क्रेडेंशियल किसी को बता दिए हैं, ऐसे में जब तक आप बैंक (या इसका कोई आउटसोर्स सेवा प्रदाता) को अवैध लेनदेन की सूचना नहीं देते हैं, तब तक आपको पूरा नुकसान उठाना होगा। अवैध लेनदेन की सूचना देने के बाद होने वाली किसी भी हानि की जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी।
- ii. ऐसे मामलों में जहां अवैध इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जिम्मेदारी न तो बैंक की है और न ही आपकी, बल्कि सिस्टम में कहीं और है; और जब बैंक (या इसका कोई आउटसोर्स सेवा प्रदाता) से संचार प्राप्त करने

के बाद आपकी ओर से बैंक को ऐसे लेनदेन की सूचना देने में 4-7 कार्य दिवसों की देरी होती है, तो आपकी प्रति लेन-देन देनदारी लेन-देन मूल्य या राशि, जो भी कम हो, तक सीमित होगी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है (RBI के अनुसार)।

ग्राहक संरक्षण पर दिनांक 6 जुलाई, 2017 के आरबीआई सर्कुलर रेफ. DBR.No.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18 के अनुसार, कार्डधारक की समग्र देयता का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है:

ग्राहक की देनदारियों का संक्षिप्त वर्णन			
संचार प्राप्त होने की तारीख से धोखाधड़ी वाले	ग्राहक की देनदारियां (₹)		
लेनदेन की सूचना देने में लगने वाला समय			
3 कार्य दिवसों के अंदर	कोई भी देनदारी नहीं		
4 से 7 कार्य दिवसों के अंदर	अगर क्रेडिट कार्ड लिमिट <= 5,00,000 रुपये,		
	अधिकतम देनदारी <= 10,000 रुपये		
	अगर क्रेडिट कार्ड लिमिट <= 5,00,000 रुपये,		
	अधिकतम देनदारी <= 25,000 रुपये		
7 कार्यदिवसों से अधिक	लेन-देन की वैल्यू तक ग्राहक की देनदारी		

अगर आप 7 कार्य दिवसों से अधिक दिन बाद सूचना देते हैं, तो आपकी देनदारी बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

XVI. शिकायत निवारण

अगर आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लेवल के अनुसार हमसे संपर्क करें

<u>लेवल 1</u>

ग्राहक बैंक की 24 घंटे की ग्राहक सेवा 1800-296-1199 पर कॉल कर सकते हैं।

विदेश से कॉल करने वाले ग्राहक 0484- 6925000 पर कॉल कर सकते हैं।

ईमेल: scapiafederalcards@federalbank.co.in

ग्राहक ग्राहक शिकायत फॉर्म का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं

लेवल 2

अगर आपको 10 कार्य दिवसों के भीतर लेवल 1 पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, तो कृपया हमारे नोडल अधिकारी को ईमेल भेजें।

ईमेल -creditcardescalation@federalbank.co.in

सुश्री मिनिमल लिज़ थॉमस

नोडल अधिकारी सेवा गुणवत्ता विभाग फेडरल बैंक लिमिटेड फेडरल टावर्स, अलुवा, केरल।

टेलीफोन: 0484-6754111

लेवल 3

अगर आपको 5 कार्य दिवसों के भीतर लेवल 2 पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, तो कृपया हमारे प्रमुख नोडल अधिकारी को ईमेल भेजें। -

ईमेल - support@federalbank.co.in

सुश्री शालिनी वारियर

कार्यकारी निदेशक एवं प्रमुख नोडल अधिकारी CEO का सचिवालय, द फेडरल बैंक लिमिटेड फेडरल टावर्स, अलुवा, केरल।

टेलीफोन: 0484-2626366

लेवल 4

यदि ग्राहक फिर भी समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है। कृपया ध्यान रखें कि शिकायत समाधान के लिए बैंक ही संपर्क का प्राथमिक स्रोत है। शिकायतकर्ता नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए रिज़र्व बैंक से जुड़े लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

यहां क्लिक करें

भुगतान का वैध सिस्टम इस्तेमाल करके विफल लेनदेन के लिए ग्राहक मुआवज़े का विवरण नीचे दिया गया है

	असफल लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) और ग्राहक मुआवज़े में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वैध भुगतान के सिस्टम का उपयोग करना				
क्रम	प्रदन्त का विवर्गा	ऑटो-रिवर्सल और मुआवज़े के लिए फ्रेमवर्क			
सं.	पटना प्राप्तप्र	ऑटो-रिवर्सल की टाइमलाइन	देय मुआवज़ा		
I	II	III	IV		
1	माइक्रो-ATMs सहित ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (ATMs)				
	7		T + 5 दिन से अधिक की देरी पर रु100/- प्रति दिन अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जमा किए जाएंगे।		

2	कार्ड से लेनदेन		
क	किया गया।	अगर लाभार्थी के अकाउंट में राशि जमा नहीं होती है, तो लेनदेन को T+1 दिन के भीतर रिवर्स (R) कर दिया जाना चाहिए।	T + 1 दिन से अधिक देरी पर रु100/- प्रतिदिन
ख ग	कार्ड मौजूद नहीं (CNP) (ई-कॉमर्स) अकाउंट से डेबिट किया गया	T+5 दिनों के अंदर ऑटो- रिवर्सल।	T + 5 दिन से अधिक देरी पर रु100/- प्रतिदिन
3	लेकिन मर्चेंट के सिस्टम पर पुष्टि नहीं मिली। कार्ड बंद करने का अनुरोध कार्डधारक द्वारा सभी		
	बकाया राशि का भुगतान करने के बाद क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध	अनुरोध पर T+7 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी	T + 7 दिन से अधिक देरी पर रु500/- प्रतिदिन

डिफॉल्ट, कार्ड सेवाओं की समाप्ति/वापसी, कार्ड की हानि/चोरी/गलत इस्तेमाल और उन पर लागू शर्तों जैसे हिस्सों के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया यहां मौजूद सामान्य क्रेडिट कार्ड शर्तें देखें।

आप इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि Scapia के माध्यम से फेडरल बैंक से क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र जमा करके, आप कार्ड की सामान्य शर्तों से बंधे होने के लिए सहमत हैं।